संख्या-24/2017/आर-91/26-3-2017-4(56)/96 टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-02-796 के आयोजनागत पक्ष में संचालित केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपया-123.09 लाख की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-265/ज0जा0वि0/पुनर्विनियोग/2016-17, दिनांक-05.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त अनुदान संख्या-81 के अधीन संचालित केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वर्ष 2015-16 में पात्र पाये गये छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु रूपया-123.09 लाख धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत गत वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तिया (के100 प्रति +रा0 प्रति.)21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामे" डाला जायेगा और व्यय संलग्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र बी.एम-9(पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-227/दस-2017, दिनांक-10 फरवरी, 2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-24/2017/आर-91(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
5- राज्य योजना आयोग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

वित्तीय वर्ष 2016–17

(रू0 हजार में)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) आयोजनागत

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण					
लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो काकल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–**आयोजनागत**–796–जनजातीयक्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0104–संविधान के अनुच्छेद –275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यकमों के संचालन हेतु अनुदान (100प्रतिशत के0/–)						2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जन जातियों का कल्याण–आयोजनागत –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101 –दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के0100प्रति0)					
42–अन्य व्यय	5230	3809	3809	3809	1421	**21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन**	40000	52309	12309	12309	52309
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो काकल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–**आयोजनागत**–796–जनजातीयक्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0109–अनुसूचित जनजाति पूर्व दशम् (कक्षा–9 व 10) छात्रवृत्ति योजना											
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	8500	8500	8500	8500	00						
योग	13730	12309	12309	12309	1421		40000	52309	12309	12309	52309

1– स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

क. प्रश्नगत योजना में आवश्यकतानुसार व्यय होने के उपरान्त बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

क. प्रश्नगत योजना में कार्यरत कार्मिकों को छठा वेतनमान स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिक व्यय है, परन्तु कम बजट प्राविधान होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है।

—2

p

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–544/ई–3–546/दस–2017 दिनांक 7-3- जनवरी, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

पृ0संख्या–24/2017/आर–91(1)/26–3–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
5–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।